

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

28/2022

प्रकरण संख्या

श्री अब्दुल हक पुत्र श्री अजब खां निवासी लाडली बेगम की मस्जिद के पास काफला
टोंक राज0

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक जिला-टोंक

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 28.07.2022


प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक के विरुद्ध उप निदेशक (आर.टी.आई. अपील) कार्यालय निदेशक एवं अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार) निदेशालय कोष एवं लेखा वित्त भवन ज्योति नगर जनपथ जयपुर को प्रथम अपील प्रेषित करने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 376-379 दिनांक 24.6.2022 से मूल अपील प्रेषित की है। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16-05-2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

ट्रेजरी स्कूल रजिस्टर (टी.एस.रजिस्टर) के क्रम संख्या 51 से 1550 तक रजिस्टर्ड पेन्शनर्स की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक को पत्र क्रिमांक 667 दिनांक 30-6-2022 व 709 दिनांक 12.07.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक द्वारा पत्र क्रमांक: 97 दिनांक 11-07-2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 76 दिनांक 10.07.2022 से सूचित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।




(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक

